

अनुदान संख्या 41 - राजस्व विभाग
GRANT No. 41 - DEPARTMENT OF REVENUE

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged -	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,00
स्वीकृत-	Voted -			
मूल	Original 13338,99,00	13339,02,00	5256,94,54	- 8082,07,46
पूरक	Supplementary 3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			8058,82,61
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted -	17,89,00	3,57,28	-14,31,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			13,26,50

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹2.00 लाख का विनियोग मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, appropriation of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2052" - "Secretariat - General Services" and was eventually surrendered.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services			
मू.	O.	12803.00	12331.39	12061.98
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	-472.61		

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services			
मू.	O. 6697.00	7057.85	6845.67	-212.18
पू.	S. 1.00			
पु.	R. 359.85			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services			
मू.	O. 4516.00	3952.15	3652.05	-300.10
पु.	R. -563.85			
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries			
मू.	O. 36408.00	43762.00	42229.22	-1532.78
पू.	S. 1.00			
पु.	R. 7353.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 1272400.00	460876.00	460876.00	..
पु.	R. -811524.00			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O. 1000.00
पु.	R. -1000.00			

(I) ₹1779.15 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1700.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹1779.15 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹1700.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2070" -

(A) Major Head "2070" -

(क) "स्वापक नियंत्रण - नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण संबंधी व्यय" - ₹500.00 लाख; और

(a) "Narcotics Control-Expenditure on control of Drug Abuse" - ₹500.00 lakhs; and

(ख) “आरक्षित निधि/जमा लेखा का अंतरण - नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय निधि को अंतरण” - ₹200.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान और गैर सरकारी संगठनों/अन्य विभागों से प्रस्ताव/दावे प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” - “योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अधिनियम और विनियमों के प्रशासन के लिए अदायगी - संघ राज्य क्षेत्रों को मूल्य वर्धित कर संबंधी व्यय के लिए अनुदान” - ₹1000.00 लाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से एमएमपी सीटी परियोजना के अंतर्गत निधीयन के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “2052” - “सचिवालय” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “राजस्व विभाग” - ₹563.58 लाख की बचत (₹12553.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एफआईयू-आईएंडडी की एफआईएनएनईटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम्प्यूटर और इसके बाह्य पूर्णों की अधिप्राप्ति और स्थायी काउन्सेल/परामर्शदाता फीस के कारण हुई।

(खा) “आयकर प्रवासी इकाई” - ₹177.90 लाख की बचत (अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹242.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सभी आयकर प्रवासी इकाइयों की स्थापना न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2070” - “स्वापक नियंत्रण - केंद्रीय स्वापक ब्यूरो” के अंतर्गत ₹146.90 लाख की बचत (₹3460.65 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित करियर प्रोन्नति/संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों की अदायगी न किए जाने और घरेलू दौरो, किराया, दरों और करों, डिजिटल मानचित्रों की खरीद और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) “Transfer to Reserve Fund/Deposit Account –Transfer to National Fund for Control of Drug Abuse” - ₹200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals/claims from NGOs/Other Departments.

(B) Major Head “3602” - “Non-Plan Grants – Other Administrative Services - Payments to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations - Grant to UTs for VAT related expenditure” - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of proposal form the UT Administrations for funding under the MMP-CT Project and availability of unspent balance of previous year.

(II) Under Major Head “2052” - “Secretariat” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Department of Revenue” - saving of ₹563.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12553.25 lakhs) was due to requirement of less funds towards implementation of FINNET Project of FIU - I&D, procurement of computers and its peripherals and fees of standing counsels/ consultants.

(B) “Income Tax Overseas Units” - saving of ₹177.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹242.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2011) was due to non-filling up of vacant posts, non-setting up of all the Income Tax Overseas Units and economy measures.

(III) Under Major Head “2070” - “Narcotics Control - Central Bureau of Narcotics” - saving of ₹146.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3460.65 lakhs) was due to non-payment of arrears of assured career progression/modified assured career progression scheme and requirement of less funds towards domestic tours, rent, rates and taxes, purchase of digital maps and International meetings.

(IV) मुख्य शीर्ष “2875” - “अफीम और एल्केलाइड उद्योग” - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “नीमच अफीम कारखाना - प्रबंधन” - ₹112.11 लाख की बचत (₹1406.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा प्रशासनिक व्यय के लिए निधियों की कम मांग होने के कारण हुई।

(खा) “गाजीपुर एल्केलाइड वर्क्स” -

(क) “प्रबंधन” - ₹102.72 लाख की बचत (₹6678.78 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विलंब से प्राप्त होने की वजह से कोडीन फास्फेट का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य व्यय” - ₹908.88 लाख की बचत (₹1407.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एल्केलाइड्स का कम उत्पादन होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3601” - “योजनेतर अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान” -

(क) “मूल्यवर्धित कर के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति” - ₹18418.00 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से मूल्यवर्धित कर क्षतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण हुई हानि के लिए अनुदान” - ₹782742.00 लाख की बचत (₹1200000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से केंद्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) “अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केंद्रीय अधिनियम और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगी - मूल्यवर्धित कर संबंधी व्यय के लिए राज्यों को अनुदान” - ₹10364.00 लाख की बचत (₹22400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य

(IV) Under Major Head “2875” - “Opium and Alkaloid Industries” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Neemuch Opium Factory - Management” - saving of ₹112.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1406.60 lakhs) was due to less demand of funds by Central Bureau of Narcotics towards administrative expenses.

(B) “Ghazipur Alkaloid Works” -

(a) “Management” - saving of ₹102.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6678.78 lakhs) was due to non-utilisation of Codeine Phosphate owing to its late receipt.

(b) “Other Expenditure” - saving of ₹908.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1407.20 lakhs) was due to less production of alkaloids.

(V) Under Major Head “3601” - “Non-Plan Grants” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Grant to cover up Gap in Resources” -

(a) “Compensation to States for Revenue loss due to VAT” - saving of ₹18418.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards VAT compensation from the State Governments.

(b) “Grants to States for revenue loss due to phasing out of CST” - saving of ₹782742.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200000.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards CST compensation from the State Governments.

(B) “Other Administrative Services - Payments to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations - Grants to States for VAT related Expenditure” - saving of ₹10364.00 lakhs (against the

सरकारों द्वारा वाणिज्यिक करों के लिए मिशन मोड परियोजना को लागू करने की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹96.22 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 38 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8672.55 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2011 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2047” - “विदेशी मुद्रा का विनियमन - प्रवर्तन निदेशालय” - ₹319.77 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹206.80 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2875” - “अफीम और अल्केलायड उद्योग”-

(क) “गाजीपुर अफीम कारखाना - अफीम की खरीद” - ₹844.71 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹818.31 लाख था।

(ख) “नीमच अफीम कारखाना - अफीम की खरीद” - ₹2779.29 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2693.78 लाख था।

(ग) “नीमच एल्केलायड वर्क्स - प्रबंधन” - ₹4728.78 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3459.55 लाख था।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹99.41 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 497 प्रतिशत था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

sanctioned provision of ₹22400.00 lakhs) was due to slow progress of implementation of Mission Mode Project for Commercial Taxes by the State Governments.

(VI) Under one head saving of ₹96.22 lakhs occurred constituting 38 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹8672.55 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2011 under the following major heads:-

(A) Major Head “2047”- “Regulation of Foreign Exchange – Enforcement Directorate” – ₹319.77 lakhs. Actual excess, however, was ₹206.80 lakhs.

(B) Major Head “2875” - “Opium and Alkaloid Industries” -

(a) “Ghazipur Opium Factory - Purchase of Opium”- ₹844.71 lakhs. Actual excess, however, was ₹818.31 lakhs.

(b) “Neemuch Opium Factory - Purchase of Opium” - ₹2779.29 lakhs. Actual excess, however, was ₹2693.78 lakhs.

(c) “Neemuch Alkaloid Works – Management” – ₹4728.78 lakhs. Actual excess, however, was ₹3459.55 lakhs.

(II) Under one head excess of ₹99.41 lakhs occurred constituting 497 percent of the sanctioned provision.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditur	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
------------------------------	---------------------------------------	---

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय मू. पु.	Head Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works O. R.	1000.00 -606.00	394.00 305.53	-88.47
मुख्य शीर्ष "4216" आवास के लिए पूँजीगत परिव्यय मू. पु.	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing O. R.	705.00 -704.00	1.00 1.59	+0.59

(I) ₹17.50 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - राजस्व भवन का निर्माण" - ₹694.47 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने की वजह से राजस्व भवन के निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - प्रवर्तन निदेशालय के कार्मिकों के लिए आवासीय भवन - बने बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण" - ₹703.41 लाख की बचत (₹705.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए बने बनाए आवास की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

5. मूल्यहास आरक्षित निधि - अफीम तथा एल्केलाइड फैक्टरियां:-

ये निधियां 1970-71 में एल्केलाइड फैक्टरियों की अचत परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लगाने की वाणिज्यिक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की

(I) Provision of ₹17.50 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Construction of Rajaswa Bhawan" - saving of ₹694.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction of Rajaswa Bhawan owing to slow progress of work.

(III) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Officials of the Enforcement Directorate - Acquisition of ready-built flats" - saving of ₹703.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹705.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposal for purchase of ready-built accommodation for the Zonal Offices of the Enforcement Directorate.

5. Depreciation of Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories:-

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories.

परिसम्पत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यहास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

वर्ष 2011-12 के लिए मूल्यहास आरक्षित निधियों का लेखा निम्न प्रकार से था:-

The Account of Depreciation Reserve Fund for 2011-2012 was as under:-

	गाजीपुर/ Ghazipur		नीमच/ Neemuch	
	अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कारखाना Alkaloid Works	अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कारखाना Alkaloid Works
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष Opening Balance	8,44,11	8,54,86	4,56,35	14,91,00
प्राप्तियां Receipts	26,00	52,13	25,00	65,00
जमा किया गया ब्याज Interest Credited	26,69	29,04	22,25	63,96
अदायगियां Payments
अंतशेष Closing Balances	8,96,80	9,36,03	5,03,60	16,19,96